पत्र सं०–08 / ज०सं०(नि०) न०वि०–40 / 2011 :–

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश

श्री सुरेश मोहन सिंह, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, पाकुड़ के विरूद्ध नगर विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक– 2418 दिनांक– 21.07.2011 द्वारा निम्नलिखित आरोप प्रपत्र 'क' में गठित कर अनुशासनिक कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराया गया –

(i) नगर क्षेत्र पाकुड़ अन्तर्गत तीन कुआँ एवं दो तालाबों की साफ–सफाई में सरकारी राशि का गबन एवं दुर्विनियोग।

(ii) सरकारी आदेशों एवं सत्यानिष्ठा के विरूद्ध आचरण।

2. उपर्युक्त आरोप की जाँच हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक– 3107 दिनांक– 18.11.2011 द्वारा नियम–43बी० के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

3. विभागीय जाँच पदाधिकारी के पत्रांक– 200 दिनांक– 14.09.2013 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

4. प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई एवं सम्यक् समीक्षोपरान्त निर्णय लिया गया कि जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पर नगर विकास विभाग, झारखण्ड का मंतव्य प्राप्त किया जाय। इस आशय हेतु विभागीय पत्रांक– 7389 दिनांक– 09.12.2013 द्वारा नगर विकास विभाग, झारखण्ड से अनुरोध किया गया।

5. नगर विकास विभाग के पत्रांक– 4711 दिनांक– 18.12.2015 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया जिसमें कहा गया कि इस संबंध में अपने स्तर से समीक्षा कर नियमानुकूल निर्णय लिया जाय।

6. विभागीय जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं नगर विकास विभाग से प्राप्त मंतव्य की पुनः समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई एवं पाया गया कि आरोप की अवधि में श्री सिंह, कार्यपालक अभियंता, नगर विकास विभाग में कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत, पाकुड़ के पद पर पदस्थापित थे, जो अभियंत्रण सेवा से थे। अतः योजना के क्रियान्वयन के पश्चात् प्राप्त विपत्रों के एवज में भुगतान करने के पूर्व उन्हें इस बिन्दु पर संतुष्ट हो लेना था कि कार्य संतोषप्रद है। परन्तु श्री सिंह द्वारा ऐसा नहीं किया गया। इस प्रकार श्री सिंह इस हद तक दोषी पाये गये। इस प्रमाणित आरोप के लिए श्री सिंह के पेंशन राशि से 5% की कटौती का दण्ड प्रस्तावित करते हुए विभागीय पत्रांक– 2147 दिनांक– 13.04.2016 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गई।

7. श्री सिंह से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई। सम्यक् समीक्षोपरान्त पाया गया कि इनके द्वारा ऐसा कोई नया तथ्य / बिन्दु

नहीं दिया गया जिसके आधार पर इन्हें निर्दोष करार दिया जा सके। अतः समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर समीक्षोपरान्त श्री सिंह के विरूद्ध निम्नलिखित दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया जाता है :–

(क) श्री सिंह के पेंशन राशि से 5% की कटौती एक वर्ष के लिए।

8. उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : .....राँची/दिनांक .....

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : .....राँची/दिनांक .....

प्रतिलिपि :– संयुक्त सचिव(प्र०), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक– 2418 दिनांक–21.07.2011 के क्रम में/वित्त विभाग (वै०नि०को०), झारखण्ड, राँची/श्री सुरेश मोहन सिंह, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, C/o - शोभित कुमार सिंह, A - 702 बुलन्द हाइट, क्रॉसिंग रिपब्लिक NH- 24, नियर ABES इंजीनियरिंग कॉलेज, गाजियाबाद VP - 201016 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 2560 राँची/दिनांक 06-06-17

प्रतिलिपि :– वेब मैनेजर, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5.6.17

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव